

क्रमांक एफ 2(घ)(निल.)आरएमएस-जांच/डीएलबी/18/1362 दिनांक : 28/5/18

आदेश

पुलिस अधीक्षक-प्रथम, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के पत्र क्रमांक भनिब/अशा/3/816-18 दिनांक 07.05.18 के अनुसार श्री अमजद खान, सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, कोटा को परिवादी श्री शरद चतुर्वेदी निवासी 25, शिवाजी कालोनी, गली नं.1 वार्ड नं. 36, रेलवे कालोनी के पास, कोटा से रू. 7,000/- (अक्षरे सात हजार रुपये) की मांग कर उक्त राशि प्राप्त करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा द्वारा दिनांक 04.05.18 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा कर न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है। ब्यूरो द्वारा इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 109/2018 पंजीबद्ध की गयी है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि आरोपी श्री अमजद खान, सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, कोटा 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, अतः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा निलम्बन एवं इनके मुख्यालय परिवर्तन हेतु की गयी अनुशंसा दिनांक 07.05.18 को दृष्टिगत रखते हुए, कार्मिक(क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (157)कार्मिक/क-3/97 जयपुर, दिनांक 07 जुलाई, 2010 में दिये गये निर्देशों एवं राजस्थान सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमजद खान, सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, कोटा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में लेने की दिनांक 04.05.18 से ही एतद् द्वारा निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में इन का मुख्यालय निदेशालय में रहेगा तथा इनको नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर निगम, कोटा से किया जावेगा।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ 2(घ)(निल.)आरएमएस-जांच/डीएलबी/18/1363-1374 दिनांक : 28/5/18  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. जिला कलेक्टर, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भनिब/अशा/3/816-18 दिनांक 07.05.18 के कम में प्रेषित है।
5. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
6. महापौर/आयुक्त, नगर निगम, कोटा।
7. श्री अमजद खान, सहायक अग्निशमन अधिकारी, मार्फत आयुक्त, नगर निगम, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आदेश तामील करवा कर प्राप्ति रसीद भिजवावें।
8. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
9. उप निदेशक-आईटी, निदेशालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. संस्थापन अनुभाग-एसएमई, निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीना)  
अतिरिक्त निदेशक